कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, बाड़मेर

क्रमांक : राजस्व / ९८/२४६०

दिनांक :- १९-११-९८

आदेश

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-८) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्र०एफ-३(१)(७३) राजस्व ८/७३ दिनांक ४.८.८० के द्वारा बाड़मेर जिला में राष्ट्रीय मरू अभ्यारण्य के स्थापना हेतु अधिसूचना वन्य प्राणी (संरक्षण) अधि० १९७२ (केन्द्रीय अधिनियम सं० ५३/१९७२) की धारा १८(१) के अन्तर्गत जारी की गई। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा २१ मे प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा उनके कार्यालय से सर्व साधारण की जान कारी हेतु उद्घोषणा क्रमांक : प-८(१)१४/राज/८०-८१/४३०५ दिनांक ४.७.८८ के द्वारा जारी की गई थी। ओर इस उद्घोषणा से दर्शाई गई सीमाओ में घोषित अभ्यारण्य (सेंचुरी) मे स्थित भूमि के सम्बन्ध मे यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकार या हक अधिनियम की धारा १९ के तहत रखता है तो उसे अपनी लिखित उजरदारी निर्धारित प्रपत्र मे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से अन्दर मियाद दो माह में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर के कार्यालय में पेश करने हेतु सूचना दी गई।

उक्त उद्घोषणा में घोषित क्षेत्र में तहसील शिव के ३९ राजस्व ग्राम आये हैं। जिसका क्षेत्रफल १४०० वर्ग किलो मीटर हैं इस उद्घोषणा का सर्वसाधारण तथा जनप्रतिनिधियों एवं अन्य विभागों , हितबद्ध व्यक्तियों की जान कारी हेतु चस्पांकन क्षैत्र के प्रमुख स्थलो , पंचायत नोटिस बोर्ड व ग्रामो के चौहटो पर कराया जाकर आपतियों को निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की गई।

उद्घोषणा जारी होने के पश्चात तेजसिंह, नारायणसिंह, सवाईसिंह व रेवन्तसिंह सा० आसाड़ी ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन लोगों का ग्राम आसाड़ी में सरकारी बिला कब्जा भूमि ख० नं० ६२२ व ६२५ पर लम्बे समय से अतिक्रमण चला आ रहा है तथा भूमि उनके काश्त कब्जे की है [illegible] के [illegible] खातेदारान और आपत्तिय पेश का –

ग्राम	खातेदार	खसरा न०
आसाड़ी	चैनसिंह वल्द अचलसिंह	६१०
आसाड़ी	चैनसिंह वल्द अचलसिंह	५७१,५७३,३०६,३१४,५७०, ६११ व ५६९
बन्धड़ा	चैनसिंह वल्द अचलसिंह	२४१
बन्धड़ा (कुंडल)	अन्तर कंवर पत्नि चैनसिंह	२२०
आसाड़ी	रामसिंह वल्द पन्ने सिंह	१९८
आसाड़ी	सगतसिंह वल्द खुशालसिंह	५६७,५८६,३११,५५३,५९२, व ६६१
शास्त्री नगर	रेवन्तसिंह वल्द खुमानसिंह	७४३
साधो की बस्ती	खुमानसिंह वल्द सुजानसिंह	१३०५,१३७९,१४१७,१४२१, १४४१,१४४३,६७४,१३०,१५२५
साधो की बस्ती	शैतानसिंह वल्द खुमानसिंह	१२५०/२

शास्त्री नगर	सुजानसिंह वल्द कलसिंह	२०,१२६२
साधो की बस्ती	उम्मेदसिंह वल्द सुजानसिंह	१२५०,१३४२,१४१६,१४१९, १४२२,१४६६
रोहिड़ी	उम्मेदसिंह वल्द सुजानसिंह	१४३२,१८८३
शास्त्री नगर	उम्मेदसिंह वल्द सुजानसिंह	७६,६८०
साधो की बस्ती	श्रीमति इन्द्र कंवर पत्नि खुमानसिंह	१२६२/१
आसाड़ी	धनसिंह वल्द अचलसिंह	१५६
आसाड़ी	धनसिंह वल्द अचलसिंह	१४१ /२ /१

इन खातेदारो ने जिनकी कि कृषि जोत इस उद्घोषणा की परिधि में आती है ने इस भूमि पर कच्चे पक्के निर्माण इस पर खड़े पेड़- पौधो का विवरण पेश करते हुए प्रकट किया कि अगर किन्ही परिस्थितियों में उनकी भूमि से उनके हकूक खातेदारी समाप्त किए जावेगे तो उस परिस्थिति में अपना मुआवजा क्लेम पेश करेगे अर्थात वे अपना क्लेम पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते है ।

हमने इन आपत्तियो पर विचार किया ,जहां तक ग्राम आसाड़ी के खसरा न० ६२२ व ६२५ के सम्बन्ध में आपत्तियों का प्रश्न है ये खसरा नम्बरान सरकारी भूमि है तथा उजरदार इन नम्बरान पर अतिक्रमी के रूप में काबिज है। एवं अतिक्रमी खातेदार नही है और न ही उनके कोई वैध हकूक है, अतः उनकी यह मांग कि खसरा न० ६२२ व ६२५ मे उनके कब्जे की जमीन इस वन्य जीव अभ्यारण्य की उद्घोषणा की परिधि से मुक्त रखी जाय, अस्वीकार की जाती है। शेष जो आपत्तियां है वे खातेदारान की है तथा उनकी मांग है कि अगर इस उद्घोषणा से उनके हकूक खातेदारी समाप्त कि जाते है तो उनका इस भूमि तथा भूमि पर स्थित सम्पदा के मुआवजा का क्लेम पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाय।

हमने इन आपत्तियो पर विचार किया इन उजरदारीयो के आवेदक खातेदार है तथा इनकी कृषि भूमि इस अभ्यारण्य क्षेत्र मे आती है और ये खातेदार इस अभ्यारण्य की उद्घोषणा से प्रभावित होते है परन्तु जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा जारी उद्घोषणा दिनांक ४.७.९८ से मौजुदा स्थिति मे न तो इन खातेदारों की भूमि आंवाप्त की जा रही है न इन खातेदारो को उनकी कृषि जोत से बेदखल किया जा रहा है और न ही उनसे इस भूमि का कब्जा छुड़ाया जा रहा है ऐसी स्थिति मे इस स्टेज पर भूमि और भूमि पर स्थित उनकी सम्पदा की कीमत बतौर मुआवजा कायम करने की कोई आवश्यकता नही है यह उस स्थिति में किया जायेगा जब किसी भी अवस्था मे उन्हे भूमि से बेदखल किया जा रहा हो अतः इन उजरदारीयो पर विवेचन की इस स्टेज पर कोई आवश्यकता नही है।

इन खातेदारान व अतिक्रमियो के अलावा इस उद्घोषणा के कारण किसी सरकारी विभाग की ओर से कोई उजरदारी पेश नही हुई । चुकि राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा आदेश सं०प-११(५४) / वन/८७ / दिनांक १०.२.९८ से इस कार्यालय को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम १९७२ की धारा २६ के तहत शक्तिया प्रदत्त करते हुए इसी अधिनियम की धारा १९ से २५ में वर्णित प्रक्रिया पर कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया है, इस प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा १९ के तहत अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि में व्यक्तियो व सरकारी विभागो के अधिकारो के अस्तित्व की प्रकृति की जांच की जाकर उनको निर्धारीत करने की कार्यवाही अपेक्षित है । ऐसी अवस्था में धारा १९ के तहत उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्राम वासीयों के भूमि सम्बन्धी एवं

234

वन तथा खनिज सम्पदा से सम्बन्धित अधिकारों व भविष्य की लोकोपयोगी जनहित की कल्याणकारी राज्य सरकार की योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार व उसके विभागों के अधिकारों के निर्धारण के सम्बन्ध में तहसीलदार शिव ,उप तहसीलदार गडरारोड, जन प्रतिनिधीयो से विचार विमर्श किया एवं इस क्षेत्र में आने वाले २९ राजस्व ग्रामों एवं उनमे स्थित खातेदारी, गैर खातेदारी, ओरण,गोचर व विभागीय भूमि का विवरण उप तहसीलदार गडरारोड से तैयार करवा कर प्राप्त किया। मेरे द्वारा भूमि से सम्बन्धित अधिनियम, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६, राज०काश्तकारी अधि० १९५५, तथा इसी क्रम में प्रचालित कानून,राज्य सरकार द्वारा जनहित व कृषको को लाभान्वित करने हेतु समय-समय पर जारी परिपत्र, आदेश, तथा भू-प्रबन्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया ।

बाड़मेर जिला मरूस्थलीय जिला है एवं इसकी विषम भौगोलिक परिस्थितिया है। इस जिले मे निवास करने वाले लोगो की आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं पशुपालन है, यह जिला शैक्षणिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में ग्रामवासीयों की उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों एवं काश्तकारो के निम्नलिखित अधिकार जो उन्हे परम्परागत रूप से विभिन्न राजस्व कानूनो के तहत संवैधानिक रूप से प्रदत्त किये गए है, उनका निर्धारण / विनिश्चय निम्न प्रकार से लेखबद्ध किया जाता है :-

१. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ के तहत काश्तकारो को प्रदत्त अधिकारो एवं सुखाचारों का उपयोग एवं उपभोग उनके द्वारा नियमानुसार यथावत किया जाता रहेगा।

२. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम १९७२ की धारा २० के तहत उक्त क्षेत्र में स्थित भूमि में या उस पर नये अधिकारो के उत्पन्न होने पर रोक है। किन्तु इस मामले मे जैसा कि उपर उल्लेखित किया जा चुका है इस क्षेत्र के निवासीयों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है । ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में गैरखातेदारी भूमि जो काश्तकारो को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित किये हुए १० वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और वे कृषक खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी भी हो चुके है तथा उक्त अधिकारों के अभाव में वे अन्य ऋण आदि की सुविधाए प्राप्त करने से वचिंत है ऐसी अवस्था में इस क्षेत्र में आए हुए गैर खातेदार जिनके द्वारा आवंटन आदेश की शर्तो का पालन किया गया है एवं वे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गएं है, वे नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार होगें।

३. अभ्यारण्य क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में उपनिवेशन क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्माण एवं कृषको को भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार सक्षम होगी एवं राज्य सरकार द्वारा उपनिवेशन विभाग द्वारा स्वीकृति कार्य योजना के अनुसार भूमि आवटंन, आवासीय कॉलोनी,नहर निर्माण, मण्डियों आदि के निर्माण के कार्य किये जा सकेगें।

४. निजि कृषि भूमि पर ग्रामवासियों तथा पंचायतों को प्राप्त सार्वजनिक तथा उसमें निजि अधिकारों / सुखाचारो को उपयोग/ उपभोग करने एवं विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

५. अभ्यारण्य की उद्घोषणा के पूर्व बनाये गये एवं वर्तमान में स्थित सार्वजनिक रास्तों, सार्वजनिक भूमियों यथा गोचर, ओरण आदि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, का उपयोग करने का ग्राम वासियों को पूर्व की भांति पूर्ण रुप से स्वतंत्र अधिकार होगा ।

६. उक्त क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों पर पूजा, अर्चना / इबादत करने का उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामवासियों तथा बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों का पूर्ण अधिकार यथावत् रहेगा ।

७. उक्त क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक कुंए / तालाब , नाडी, नदियों व पार से ग्रामवासियों को पानी पीने एवं पशुओं को पानी पिलाने के अधिकार यथावत् रहेंगे ।

८. उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रुपांतरण कराने का ग्राम वासियों को पूर्ण अधिकार होगा किन्तु आवासीय / वाणिज्यिक से भिन्न प्रयोजनार्थ (यथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ) रुपांतरण कराने से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

९. उक्त क्षेत्र में आई हुई राजकीय भूमियों के आवासीय ,वाणिज्यिक , कृषि प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रकृति के कार्य हेतु आवंटन से पूर्व राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

१०.उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामवासियों को अपने निजी उपयोग हेतु इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज संपदा का उपयोग खनिज विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत पूर्ण अधिकार होगा । किन्तु खनन प्रक्रिया में बारुद (विस्फोटक पदार्थ) का उपयोग नहीं किया जायेगा एवं न ही इस प्रकार का कोई कार्य किया जायेगा जिनके फलस्वरुप अभ्यारणय की स्थापना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

११.इस क्षेत्र के निवासियों को अभ्यारण्य क्षेत्र में अपने मवेशियों को रखने एवं उसे चारागाह , ओरण , सिवाय चक भूमि , बंजर भूमि (वन विभाग की भूमियों को छोड़ कर) क्षेत्र में चराई का अधिकार यथावत् रहेगा ।

१२.अभ्यारण्य क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में सार्वजनिक उपयोग की भूमियों यथा गैर मुमकिन आबादी, गैर मुमकिन शमशान , गैर मुमकिन कब्रिस्तान , गैर मुमकिन ओरण आदि का उपयोग ग्राम वासियों द्वारा वर्तमान में प्रचलित नियमों के तहत यथावत् किया जाता रहेगा तथा भविष्य में भी उक्त भूमियों के क्षेत्र का विस्तार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार करवाने के उन्हें अधिकार होंगे ।

१३.राज्य सरकार को सिवाय चक भूमि की किस्म परिवर्तन करने , उसके आवंटन, आरक्षण का पूर्ण अधिकार होगा ।

उक्त अधिकारों का विनिश्चय वन प्राणी (संरक्षण) अधिनियम १९७२ की धारा १९ के द्वारा एतद् द्वारा किया जाता है ।

(आर०पी० विजय)
प्राधिकृत अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

क्र०/राजस्व/९८/ दिनांक :-१९-११-९८

प्रतिलिपि :-

१ श्री मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर ।
२ श्रीमान जिला कलक्टर, बाड़मेर ।
३

को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Kind attention of
Shri R G Soni

वन्य अभयारण्य में प्रभावित भूमि   जिला- बाड़मेर

क्र.सं.	नाम ग्राम	राज्य सरकार की भूमि	खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि	पंचायत की भूमि	वन विभाग की भूमि	अन्य विभाग की भूमि	सम्पूर्ण भूमि का रकबा (बीघों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सेलरोड़ी	3661.10	6259.15	8167.02	3763.05	01.10	21853.02
2.	उगेरी	1258.17	7426.19	5663.19	10577.08	219.03	25146.06
3.	भाटी की बस्ती	6553.10	11037.10	4020.06	5958.19	05.00	27575.05
4.	बाहला	8910.03	25656.04	7580.13	1983.16	10.00	44140.16
5.	[illegible]डा	10475.16	30285.06	9280.10	4257.30	51.06	54650.01
6.	सिंकुसी	2630.12	6512.06	2572.10	-	-	11715.06
7.	गोयमसिंह कुण्डल	3090.01	7110.16	2099.03	1361.04	01.00	13662.04
8.	गिरल	1207.02	10393.09	6178.06	-	65.01	17843.1[illegible]
9.	हाथीसिंगांव	11130.01	11993.06	3353.13	627.09	309.15	27413.12
10	आगाड़ी	3279.00	23165.04	995.07	-	352.06	27791.17
11	अगासड़ी	247.11	102[illegible].19	931.18	-	05.10	2105.18
12	कुड़ाली	1536.09	7063.02	174.17	10194.09	-	18968.17
13	आलमसिंह की बस्ती	1827.14	12551.13	5351.12	-	521.10	20252.09
14.	रावतसर	05.17	25.12	1000.00	-	-	1031.09
15.	मंगल का पार	7359.18	8026.14	239.01	-	145.11	15771.04
16.	खिजराल	15478.19	6521.06	7114.00	-	-	29114.05
17.	हाथितार	16341.01	3999.10	5061.13	-	-	25402.05
18.	छतीस	4197.12	16543.01	3406.00	-	75.14	24222.07
19.	बनियाली	1057.05	7348.18	180.04	-	39.06	8625.13
20.	डाभड़	36624.12	9139.06	19025.13	92.03	342.08	65224.02
21.	सिरगुवाला	17528.04	15944.04	4972.01	353.15	162.09	38960.15
22.	रमदाद का पार हुई	12832.10	900.00	2710.15	21.01	05.00	16469.06
23.	रतरड़ी हुई	4241.15	6235.04	686.06	-	-	11163.05
24.	रतरड़ी कलां	3446.12	7545.18	9007.07	-	08.06	20007.17
25.	जोगी की बस्ती	7011.14	11389.09	6640.17	-	-	25042.00

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बाड़मेर

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	हरपियार आकि महलमी	3719.17	4906.15	2388.12	788.15	05.10	11808.[illegible]
27.	हराम्ह	10696.11	8431.08	7940.19	77.19	90.09	27237.06
28.	खमोपना को बाबड़ी	-	-	09.16	-	-	09.16
29.	पाठुसरो	4138.08	16487.17	5094.12	-	-	25720.06
30.	गौरापानियर	281.04	2699.19	2761.08	-	57.11	5800.02
31.	हरमाणी	-	648.11	950.00	-	12.10	1611.01
32.	मगरा	2377.03	14319.03	695.03	-	32.10	17423.[illegible]
33.	टूडबो	1351.08	11108.09	2523.10	-	250.07	15233.[illegible]
34.	औडे	1320.08	2338.06	15.00	-	-	15473.[illegible]
35.	छबड़ाना	15237.10	10747.15	-	1553.16	11.03	27350.04
36.	नौहड़ियाला	26781.02	11565.02	-	-	33.12	38379.16
37.	मोस्ड़े	21427.19	4261.15	-	-	05.00	28094.14
38.	पूनराज का पार	8161.09	18099.18	-	4736.00	10.00	31007.07
39.	बांचियार	19132	5563.10	-	-	-	24696.04
	यौग	311559.18	365283.07	138692.13	46147.02	2939.09	864802.01

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बाड़मेर